न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 15/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. जगराम पुत्र छीतर दत्तक पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:------ अपीलांट

बनाम

1 चन्दूलाल दत्तक पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:--- असल रेस्पो0

2 जयलाल पुत्र छीतर

3 जलसिंह पुत्र छीतर

4 मुकेश दत्तक पुत्र चैना जाति जाट निवासीयान ग्राम बघाना तह0 कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

5 एच0 पी0 सी0 एल0 कम्पनी

6 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कोटकासिम जिला अलवर जरिये शाखा प्रबन्धक

7 भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटकासिम जरिये शाखा प्रबन्धक

8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लैंड होल्डर तिजारा

:------ तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 4.7.2016

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दिनेश यादव

2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री जनार्दन शर्मा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 19.8.19

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 133/2016 में पारित निर्णय दिनांक 4.7.2016 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत आराजीयात तकासमा प्राथमिक तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1031, 1209, 1210, 1211, 1213, 1214, 1216, 1219, 1220, 1255, 1288, 1289, 1296, 1504, 1505, 1526, 1527, 1641, 1654, 1672, 1785, 1841, 1859, 2011, 2012 कुल किता 25 कुल रकबा 5.30 वाके ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम विवादित है । इन आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा है । विवादित भूमि का अभी बंटवारा नहीं हुआ है । संयुक्त खाते की है । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य एक तबादलानामा दिनांक 29.8.88 निष्पादित हुआ था, मगर इसकी पालना नहीं की गई है । इसलिये न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान प्रस्तुत हुये, लेकिन पक्षकारान के राजीनामा के आधार पर केस खत्म हो गया । प्रतिवादी शामलात में खेती करने में मजाहमत करते हैं । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वाद पत्र को प्राथमिक तौर पर डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय के हमको पूर्व में जानकारी नहीं हुई थी । जब रेस्पो0 नं0 1 ने खेती करने में रूकावट की तो जानकारी हुई । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि हमने तहत न्यायालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसका दुरूपयोग किया गया है । राजस्व कैम्प कोर्ट में हमारी सहमति नहीं थी । हमारी आपत्ति का निस्तारण करने के बाद ही निर्णय पारित करना चाहिये था । जो कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वह रिकार्ड एवं मौका के खिलाफ है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि अपील मियाद बाहर है, मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे । इनकी सहमति थी । इनके सहमति के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

हस्ताक्षर है । इनको प्राथमिक डिक्री के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का राईट नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्ध के परिप्रेक्ष्य में लिबरल व्यू अपनाया जाकर देरी को कंडोन किया जाता है और अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

6 तहत न्यायालय की ऑर्डर शीट दिनांक 4.7.2016 के अवलोकन से सिद्ध है कि दोनों पक्षकारान प्राथमिक डिक्री पारित कराने हेतु सहमत थे । इस सहमति के पक्षकारान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है । स्वंय अपीलांट प्रतिवादी जगराम के भी अंगूठा निशानी अंकित है । जब स्वयं अपीलांट की सहमति थी तो ऐसी स्थिति में उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । अगर अपीलांट को लगे कि धोखे से, साजबाज होकर उसके अंगूठा निशानी करवाये गये हैं तो उसे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये । इसके अतिरिक्त प्रतिवादी अपीलांट ने तहत न्यायालय में कुर्रे कायमी पर ऐतराज उठाया था । जिसका निस्तारण करते हुये तहत न्यायालय ने तहसीलदार को यह निर्देश दिया है कि आप स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर कुर्रे कायमी तैयार करावे । इस प्रकार अपीलांट की आपत्ति का भी निस्तारण कर दिया गया है । उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपील सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.7.16 यथावत रखे जाते हैं ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 15/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. जगराम पुत्र छीतर दत्तक पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:------ अपीलांट

बनाम

1 चन्दूलाल दत्तक पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर वगैरा

रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 4.7.2016

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दिनेश यादव

2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री जनार्दन शर्मा

पर्चा डिक्री दिनांक 19.8.19

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.7.16 यथावत रखे जाते है ।

(संजू शर्मा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner